

153

CNRNo-UPBP010018392021

न्यायालय: जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
उपस्थित: नरेन्द्र बहादुर यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा)
दीवानी पुनरीक्षण संख्या-10/2021
(कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या-11/2021)

लालमनिपुनरीक्षणकर्ता।
बनाम
नानबाबू व पांच अन्य विपक्षीगण।

निर्णय

सामान्य दीवानी वाद संख्या-506/2007 लालमनि बनाम मिश्रीलाल में विद्वान सिविल जज (जू0डि0) बलरामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.08.2021 से क्षुब्ध होकर उक्त वाद के वादी द्वारा प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण मुख्य रूप से इस आधार पर योजित किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपनी अधिकारिता का प्रयोग उस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार विधि अपेक्षा करती है व संशोधन प्रार्थनापत्र में प्रस्तावित संशोधन संख्या-2 व 3 को निरस्त करके तात्विक अनियमितता व अवैधानिकता बरती है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि उक्त संशोधन जुड़ जाने से वादी द्वारा परित्याग करने वाली सम्पत्ति स्पष्ट हो सकती है। उक्त आधार पर आक्षेपित आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

2. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पुनरीक्षणकर्ता/वादी ने संशोधन प्रार्थनापत्र 250क प्रस्तुत करके वादपत्र के प्रस्तर-3 की चौथी पंक्ति में आंशिक सम्पत्ति बेचे जाने की वजह से उसके परित्याग करने के तथ्य का उल्लेख करना चाहा है तथा इसी के साथ-साथ आधे अंश में विवाद रह जाना उल्लिखित किया है। इसके अतिरिक्त वादपत्र में वर्णित नक्शानजरी में अ,ब,स,द से दर्शित घेर में उत्तरी आधे अंश को 15 फीट x 10 फीट तथा दक्षिणी आधे अंश को 15 फीट x 10 फीट उल्लिखित करने की अनुमति चाहा है।

4. प्रतिवादी की आपत्ति आहूत करके विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए संशोधन प्रार्थनापत्र 250क को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद को आंशिक रूप से उत्तरी आधे भाग के सम्बन्ध में आहरित करने की सीमा तक के तथ्य को जोड़ने की अनुमति प्रदान कर दिया तथा अवशेष तथ्य जोड़े जाने की सीमा तक संशोधन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण योजित किया गया है।

5. विद्वान अवर न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र 250क के बिन्दु संख्या-2 व 3 में उल्लिखित तथ्यों को पुनरीक्षणीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2021 की अपेक्षा के प्रतिकूल माना। आक्षेपित आदेश में यह भी उल्लिखित

Self attested
A
3/10/21

NTB/ear

(2)

किया गया है कि मामला पुराना होने के कारण इसे शीघ्र मेरिट पर निर्णीत करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

6. आक्षेपित आदेश में तात्त्विक अनियमितता की परख करने हेतु इस बिन्दु पर गौर किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रस्तावित तथ्य वादपत्र में न जुड़ने से वाद को मेरिट पर निर्णीत करने में कोई असुविधा होगी तथा इसके न जुड़ने से वादी/पुनरीक्षणकर्ता को कोई विधिक क्षति या ईर्ष्या कारित होगी।

7. संशोधन प्रार्थनापत्र 250क के प्रस्तर-1 में प्रस्तावित तथ्य वादपत्र में जुड़ जाने से विवादित सम्पत्ति की लम्बाई चौड़ाई स्पष्ट हो जा रही है। मामले को मेरिट पर निर्णीत करते समय सहजतापूर्वक विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आधार पर विवादित सम्पत्ति में से आधे उत्तरी व आधे दक्षिणी भाग की पहचान की जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में तथ्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो सकते हैं। ऐसी दशा में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जिन तथ्यों को जोड़ने की अनुमति विद्वान अवर न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है वह तथ्य इस प्रकार वांछित नहीं हैं जिन्हें आधार बनाकर मेरिट पर अति महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया जाना है, बल्कि स्थिति यह प्रकट होती है कि इन तथ्यों के अभाव में विवादित भूमि पूर्णतया उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पहचान करते हुए निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः ऐसी दशा में प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण स्वीकार करने से सारभूत न्याय की मंशा की पूर्ति नहीं हो सकेगी, बल्कि अति प्राचीन वाद आगे भी अधिक समय तक विलम्बित हो सकता है। उपरोक्त दशा में प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण निष्प्रयोज्य होने की दशा में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत दीवानी पुनरीक्षण खारिज किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाती है।

दिनांक 31.03.2022

N. Yadav
31.03.2022

(नरेन्द्र बहादुर यादव)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 31.03.2022

N. Yadav
31.03.2022

(नरेन्द्र बहादुर यादव)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

self attested
R
31/03/22